

-:: संकल्प ::-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत मानसिक रूप से विकृष्ट/रूग्ण महिलाओं एवं पुरुषों हेतु क्रमशः पूर्णियाँ तथा गयाजी में 50-50 की आवासीय क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित किये जाने एवं इसके निमित्त प्रति आसरा गृह प्रतिवर्ष आवर्ती मद में ₹0 62,26,200/- (बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) तथा अनावर्ती मद में ₹0 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार रुपये) की दर से दो गृहों के लिए कुल राशि- ₹0 1,43,72,400/- (एक करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

मानसिक रूप से निःशक्त/रूग्ण महिलाओं/बालिकाओं के समुचित देखभाल, खान-पान एवं आवासीय सुविधा, संरक्षण, चिकित्सीय देखभाल, कॉउंसलिंग एवं शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से वर्तमान में पटना जिला अंतर्गत 03 आसरा गृह संचालित हैं। उक्त सभी आसरा गृहों में वर्तमान में क्षमता से अधिक रूग्ण महिलाएँ/बालिकाएँ आवासित हैं।

2. मानसिक रूप से रूग्ण/विकृष्ट पुरुषों हेतु राज्य में वर्तमान में इस प्रकार की कोई गृह संचालित नहीं है। प्रायः यह देखा जाता है कि मानसिक रूप से विकृष्ट/रूग्ण पुरुषों को उचित देखभाल प्रदान नहीं किया जाता है एवं कई बार परिवार एवं समाज द्वारा भी उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है।
3. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत मानसिक रूप से विकृष्ट/रूग्ण महिलाओं एवं पुरुषों हेतु क्रमशः पूर्णियाँ तथा गयाजी में 50-50 की आवासीय क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित किये जाने एवं इसके निमित्त प्रति आसरा गृह प्रतिवर्ष आवर्ती मद में ₹0 62,26,200/- (बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) तथा अनावर्ती मद में ₹0 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार रुपये) की दर से दो गृहों के लिए कुल राशि- ₹0 1,43,72,400/- (एक करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. उक्त स्वीकृत 02 अतिरिक्त आसरा गृह का संचालन विभाग द्वारा पूर्व से निर्गत संकल्प सं०- 2339 दि०- 30.11.2017 तथा स्वीकृत्यादेश सं०- 56 दि०- 06.09.2019 के प्रावधानों एवं दरों के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्त आसरा गृहों के संचालनार्थ आवर्ती मद में प्रति आसरा गृह प्रति वर्ष रू0 62,26,200/- (बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये) मात्र एवं अनावर्ती मद में प्रथम वर्ष के लिए रू0 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार रूपये) मात्र व्यय अनुमानित है। आवर्ती मद में अनुमानित राशि राज्य सरकार एवं गैर सरकारी संस्थान (एनजीओ) के अनुपातिक अंशदान 90:10 के अनुरूप होगा।
 6. राशि का व्यय माँग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष-0122-मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं का कल्याण- आसरा गृह विपत्र कोड-51-2235-02-101-0122 के अधीन उपलब्ध बजटीय उपबंध से किया जायेगा।
 7. नव स्वीकृत आसरा गृह एवं पूर्व से संचालित आसरा गृह के संचालन हेतु संशोधित / विस्तृत मार्गदर्शिका अलग से समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। जिसके आलोक में आसरा गृह का संचालन किया जा सकेगा।
 8. प्रस्ताव पर संचिका सं0- 01/दि0स0नि0(यो0)-21/2026 के टिप्पणी पृ0-25/टि0 पर दिनांक-02.09.2026 को मद संख्या-24 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
 9. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनोद सिंह गुंजियाल)

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(यो0)-21/2026 835

पटना. दिनांक- 08.09.26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(यो0)-21/2026 835

पटना. दिनांक- 08.09.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(यो0)-21/2026 835 पटना. दिनांक- 08.09.24
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(यो0)-29/2024 स.क. 835 पटना. दिनांक- 08.09.24
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:-01/दि0स0नि0(यो0)-29/2024 स.क. 835 पटना. दिनांक- 08.09.24
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।